

**Form 1****Maintenance of records Form of Continous Khatian to be maintained by the Anchal****Adhikari under Section 3(1)****(See Rule 4)****Continous Khatian****Anchal- धनबाद Rev P.S- झरिया State of- झारखण्ड Police Station- झरिया R.T.No 5 Khata Type रैयती**

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
307	भुसिया ग्वालीन , पति-शशी गोप, जाति- ग्वाला	778		0 ऐ	15 डि	0 हे	5	0000	1 / 308
307	भुसिया ग्वालीन , पति-शशी गोप, जाति- ग्वाला	859		0 ऐ	31 डि	0.48 हे	5	0000	1 / 308
307	श्री बिरेन्द्र कु० पाण्डेय , पिता-स्व.कृष्णा प्रसाद पांडेय, जाति- .	778		0 ऐ	6 डि	0 हे	4	दा०खा० मु०स० 1801 (1)2012-13	1 / 955
307	श्री दीपक कुमार , पिता-श्री चारु सिंह , जाति- .	859		0 ऐ	4 डि	3.97 हे	4	द०ख० मु० स०656{1} 2015-16	1 / 1183
307	श्रीमती देबु देवी , पति-चारु सिंह , जाति- ----	859		0 ऐ	6.6 डि	0 हे	4	द०ख० मु० स० 657 [1] 2015-16	1 / 1184
307	चारु सिंह , पिता-स्व जगेश्वर सिंह , जाति- .	859		0 ऐ	0 डि	0 हे	4	दाखिल खारिज केस न658(I)2015-16	3 / 315
307	देबु देवी , पति-चारु सिंह , जाति- .	859		0 ऐ	0 डि	4.26 हे	3	दाखिल खारिज केस न 657(I)2015-16	3 / 320
307	SMT. USHA GUPTA , पति-SRI TRIPURARI PRASAD GUPTA, जाति- --	859		0 ऐ	8.26 डि	0 हे	4	नामान्तरण मुकदमा संख्या 2126/2020 - 2021	12 / 41
307	श्री अमलेश कुमार , पिता-श्री गोपाल प्रसाद साह , जाति- --	859		0 ऐ	5.09 डि	0 हे	3	नामान्तरण मुकदमा संख्या 2810/2020 - 2021	12 / 48
307	श्रीमती सुनैना सिंह , पति-श्री गोविन्द कुमार सिंह, जाति- राजपुत	859		0 ऐ	3.71 डि	0 हे	4	नामान्तरण मुकदमा संख्या 671/2021 - 2022	12 / 80

307	श्रीमती ललिता देवी , पति-श्री नन्द किशोर सिंह, जाति- ----	859		0 ऐ	4.13 डि	0 हे	4	नामान्तरण मुकदमा संख्या 901/2021 - 2022	12 / 90
307	NILAM DEVI , पति-KAPIL DEV PRASAD SINGH, जाति- --	859		0 ऐ	5.16 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 3780/2022 - 2023	14 / 34
307	श्रीमती भारती सिंह , पति-श्री अमित कुमार सिंह, जाति- ----	859		0 ऐ	4.95 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 572/2023 - 2024	14 / 66

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

7/6/2024

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।